निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक 1932 (श0)

(सं0 पटना 729) पटना, सोमवार, 25 अक्तूबर 2010

जल संसाधन विभाग

———————

अधिसूचना

17 सितम्बर 2010

सं0 22 / नि0सि0(भाग0)–9–106 / 94 / 1405—श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा गंगा पम्प नहर अंचल, मुंगेर के पदस्थापन अवधि में वर्ष 1984–87 के दौरान डकरानाला / सूर्यगढ़ा पम्प नहर परियोजना में बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का गोलमाल किया गया, जिसकी जॉच मंत्रिमंडल निगरानी विभाग द्वारा करायी गयी एवं राशि के गोलमाल से संबंधित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप श्री सिंह को विभागीय आदेश सं0 103, दिनांक 7 मई 1992 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिसके विरूद्व श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट सं0 4573 / 92 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री सिंह के निलंबन आदेश एवं उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संबंधी संकल्प को निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सरकार को यह छूट दी गयी थी कि यदि सरकार चाहे तो श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण सरकार द्वारा उन्हें विभागीय अधिसूचना सं0 51, दिनांक 16 जून 1993 द्वारा पुनः निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। श्री सिंह द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सं0– सी0डब्लू0जे0सी0सं0–1375 / 95 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक 1 अगस्त 1995 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही हेतु नियुक्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति श्री सिंह को उपलब्ध करायी गयी एवं उसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी श्री सिंह को आरोपों के लिये दोषी पाया गया। विभागीय कार्यवाही के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतिलिपि विभागीय पत्रांक 2695, दिनांक 11 दिसम्बर 1995 द्वारा श्री सिंह को प्रेषित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री सिंह को 9,28,049.32 रूपये वित्तीय क्षति सरकार को पहुॅचाने और कर्तव्य एवं दायित्व का सही रूप से निर्वाह नहीं करने, आदि के लिये दोषी पाया गया। अतएव सरकार द्वारा उन्हें अधीक्षण अभियन्ता से कार्यपपालक अभियन्ता के पद पर पदावनति करने एवं वित्तीय क्षति की आधी राशि यानि 4,64,024.76 रूपये की वसूली करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित दण्ड के लिये श्री सिंह से पुनः विभागीय पत्रांक 2751, दिनांक 20 दिसम्बर 1995 द्वारा एक सप्ताह के अन्दर कारण पृच्छा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु उनके द्वारा लिखा गया कि कारण पृच्छा का जबाब देने की आवश्यकता नहीं है। श्री सिंह से कारण पृच्छा का जबाब मान्य नहीं होने के कारण दण्ड के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गयी।

तदनुसार सरकार द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, निलंबित को विभागीय अधिसूचना सं0 48, दिनांक 12 जनवरी 1996 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया:–

(1) श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियन्ता को कार्यपालक अभियन्ता के पद पर पदावनति किया जाता हैं।

(2) वित्तीय क्षति की आधी राशि यानि 4,64,024.76 रूपये की वसूली श्री सिंह के वेतन से मासिक रु0 2,000 दर पर की जायेगी। अगर इस राशि की वसूली उनके सेवा अवधि के दौरान नहीं हो पायी तो बकाये राशि की वसूली उनके सेवा–निवृति के पश्चात उनके उपादान एवं अन्य पावना मदो से की जायेगी।

(3) निलंबन अवधि में उन्हें जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

श्री सिह द्वारा उक्त विभागीय दण्ड अधिसूचना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0सं0 11962/95 याचिका दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2010 को पारित न्याय निर्णय एवं उक्त न्याय निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा प्राप्त वैधिक परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 48, दिनांक 12 जनवरी 1996 जिसके द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसादसिंह तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया है।

(1) श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियन्ता को कार्यपालक अभियन्ता के पद पर पदावनति किया जाता हैं।

(2) वित्तीय क्षति की आधी राशि यानि 4,64,024.76 रुपये की वसूली श्री सिंह के वेतन से मासिक रु0 2,000 दर पर की जायेगी। और इस राशि की वसूली उनके सेवा अवधि के दौरान नहीं हो पायी तो बकाये राशि की वसूली उनके सेवा–निवृति के पश्चात उनके उपादान एवं अन्य पावना मदो से की जायेगी।

(3) निलंबन अवधि में उन्हें जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

को सरकार द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता सम्प्रति सेवा–निवृत को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 729-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in